मध्यप्रदेश विधान सभा

दिसम्बर, 1991 सत्र

दैनिक कार्य - सूची

सोमवार, दिनांक 9 दिसम्बर, 1991 (अग्रहायण 18, 1913)

समय 10.30 बजे दिन

1. शपथ/प्रतिज्ञान.

उप चुनाव में निर्वाचित निम्नलिखित सदस्य शपथ लेंगे/ प्रतिज्ञान करेंगे, सदस्यों की नामावली में हस्ताक्षर करेंगे और सभा में अपना स्थान ग्रहण करेंगेः-

1. कुंवर राजा पटेरया
2. श्री अजय सिंह
3. श्री निरंजन सिंह
4. श्री डोमन सिंह नगपुरे उर्फ बाबा पटेल
5. श्रीमती केशरबाई डामर

2. निधन का उल्लेख

निम्नलिखित के निधन सम्बन्धी उल्लेख-

1. श्री रामकरण लाल जैन, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा
2. कुंवर मृगेन्द्र सिंह, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा
3. श्री नत्थू भाई सांवले, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा
4. श्री भदई हल्के चौधरी, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा
5. डा. डब्ल्यू. एस. बारलिंगे, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा
6. श्री काशीराम तिवारी, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा
7. श्री रिल्लीराम अहिरवार, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा
8. श्री रामनाथ गोयनका, भूतपूर्व संसद सदस्य
9. श्री रामसिंह वर्मा, भूतपूर्व संसद सदस्य
10. श्री शरद जोशी, सुप्रसिद्ध साहित्यकार
11. श्रीमती इस्मत चुगताई, सुप्रसिद्ध लेखिका
12. उत्तर भारत के गढ़वाल क्षेत्र में भूकम्प से मृत व्यक्ति

3. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

4. अध्यादेश का पटल पर रखा जाना

श्री बाबूलाल गौर, विधि और विधायी कार्य मंत्री, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश माध्यस्थम् अधिकरण (संशोधन) अध्यादेश, 1991 (क्रमांक 4 सन् 1991) पटल पर रखेंगे.

5. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री बाबूलाल गौर, संसदीय कार्य मंत्री, मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन भत्ता तथा पेंशन अधिनियम 1972 (क्रमांक 7 सन् 1973) की धारा 9 (3) की अपेक्षानुसार संसदीय कार्य विभाग की अधिसूचना क्रमांक 1952-एक (2) -54-अड़तालीस-(सं.का.) 91, दिनांक 7 नवम्बर, 1991 पटल पर रखेंगे.

(2) श्री बाबूलाल जैन, वाणिज्यिक कर मंत्री, मध्यप्रदेश सामान्य विक्रय कर अधिनियम, 1958 (क्रमांक 2 सन् 1959) की धारा 22-घ के साथ पठित धारा 51 की उपधारा (1) तथा उपधारा (2) के खण्ड (एक); और केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (1956 का सं. 74) की धारा 13 की उपधारा (3), की अपेक्षानुसार वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-ए-3-27-89-विक-पांच (17) दिनांक 19 फरवरी, 1991 पटल पर रखेंगे.

(3) श्री बाबूलाल जैन, वाणिज्यिक कर मंत्री, मध्यप्रदेश सामान्य विक्रय कर अधिनियम, 1958 (क्रमांक 2 सन् 1959) की धारा 51 की अपेक्षानुसार वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना क्रमांक ए-5-6-90-विक-पांच-(115) दिनांक 9 नवम्बर, 1990 पटल पर रखेंगे.

6. जून-अगस्त ,1991 सत्र के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों का पटल पर रखा जाना.

7. नियम 267-क के अधीन जून-अगस्त 1991 सत्र में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन पटल पर रखा जाना.

8. राष्ट्रपति/राज्यपाल की अनुमति प्राप्त विधेयकों की सूचना.

9. नियम 138(1) के अधीन ध्यानाकर्षण.

(1) डा. गोविन्द सिंह, चौधरी राकेश सिंह, श्री गजराज सिंह सिकरवार, सदस्य ग्वालियर ग्रेसिम कारखाने में विस्फोट से कई श्रमिकों की मृत्यु होने की ओर राज्य मंत्री, श्रम का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री मोती कश्यप, सदस्य जबलपुर के रानी अवंतिबाई सागर बांध के द्वार खोलने से करोड़ो की संपत्ति नष्ट होने की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

10. विधान सभा की सदस्यता से त्यागपत्र.

मध्यप्रदेश विधान सभा के निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 234-बुधनी से वर्ष 1990 के आम चुनाव में निर्वाचित सदस्य श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा विधान सभा में अपने स्थान का त्याग करने की सूचना.

11. सभापति तालिका की घोषणा.

12. संविहित संकल्प

श्री बाबूलाल गौर, संसदीय कार्य मंत्री, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगेः-

" यह सदन मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम, 1972 (क्रमांक 7 सन् 1973) की धारा 5-क के साथ पठित धारा 9 की उपधारा (2) के खण्ड (कक) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य (रेल द्वारा निःशुल्क अभिवहन) नियम, 1978 में किये गये संशोधनों को, जो संसदीय कार्य विभाग की अधिसूचना क्रमांक 1952-एक (2)-54-अड़तालीस- (सं.का.) 91, दिनांक 7 नवम्बर, 1991 द्वारा मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण), दिनांक 11 नवम्बर, 1991 में प्रकाशित किये गये है, उक्त अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (3) के अनुसरण में अनुमोदित करता है".

13. शासकीय विधि विषयक कार्य.

(1) श्री बाबूलाल गौर, विधि एवं विधायी कार्य मंत्री, मध्यप्रदेश माध्यस्थम् अधिकरण (संशोधन) विधेयक, 1991 (क्रमांक 27 सन् 1991) का पुरः स्थापन करेंगे.

(2) श्री ननकीराम कंवर, कृषि मंत्री, मध्यप्रदेश भूमि सुधार योजना (संशोधन) विधेयक, 1991 (क्रमांक 26 सन् 1991) का पुरः स्थापन करेंगे तथा प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

भोपाल
दिनांक 8 दिसम्बर, 1991

विश्वेन्द्र मेहता
सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा